न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
111/16	27.7.16	4.1.22

उनवान

1.बंशी पुत्र जाहरा जाति गुजर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास(अलवर)

:–वादीः–

बनाम

1. चेतनदास पुत्र कीरतमल
2. रूपामल पुत्र कीरतमल
3. घनश्यामदास पुत्र कीरतमल
4. सावत्री पुत्री कीरतमल
5. मेहनी बाई पुत्री कीरतमल जाति सिंन्धी निवासी आनन्दनगर कॉलोनी, खैरथल तहसील किशनगढबास
6. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार किशनगढबास पैरोकार तहसील किशनगढबास अलवर।
7. श्योपाल पुत्र जयराम
8. गिरधारी पुत्र जयराम – मृतक

8/1–जसवन्त पुत्र गिरधारी

8/2–गजराज पुत्र गिरधारी कौम गुर्जर

9. हुकमचन्द पुत्र जयराम
10. यादराम पुत्र जयराम
11. मातादीन पुत्र जयराम
12. बनेसिंह पुत्र जयराम कौम गुजरान निवासीयान सेवखेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगणः–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टी0एक्ट 1953

उपस्थितिः– 1. श्री परमानन्द शर्मा वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

आज प्रकरण हमारे समक्ष पेश हुआ। दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– वादी ने दावा इश्तकराहक मय हुकमहुदुली दुरूस्ती पेश किया है। वादी को पुराना कब्जा एंव एडवर्स पजेसन के आधार पर आ0ख0न0 हाल 244 रकबा 0.3200हे0 वाके ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास का दिनांक 23.4.10 को इस न्यायालय द्वारा गैर खातेदार घोषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी पक्ष ने माननीय भू–प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील दायर की तहत न्यायाल द्वारा पारित अपीलीय आदेश में न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 23.4.2010 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वो वाद में अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 को पक्षकार बनाकर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करे। तहत न्यायालय का यहां यह भी निर्देश दिये गये कि वो पक्षकारान से जो भी दस्तावेजात इकरारनामा इत्यादि लेवें वे रजिस्टर्ड हो। इस आदेश के विरूद्व वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपीलय अधिकारी के निर्णय दिनांक 9.11.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की गई । पत्रावली वास्तें अग्रीम कार्यवाही इस न्यायालय को प्राप्त हुई। मुताबिक आदेश दिनांक 9.11.12 अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा अग्रीम कार्यवााही की गई।

दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पक्षकारान को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही है अतः प्रतिवादी संख्या 1लगा0 5 तथा 8 लगा0 12 की के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी नं0 7 श्योपाल ने दिनांक 2.12.20 को जवाब पेश किया कि आराजी ख0न0 244 रकबा 0.3200 हे0 वाके ग्राम सेवखेडा तह0 किशनगढबास से मेरा कोई किसी प्रकार का लेना देना नही है। ना मै आराजी पर कभी काबिज रहा हूं। वादी ही उक्त आराजी पर करीब 27,28 सालो से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। एवं मौके पर काबिज है।अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद को वादी के हक में डिकी कर दिया जावे। तो मुझे प्रतिवादी नं0 7 को कोई ऐतराज नही है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, तथा बलवन्त पुत्र जयनारायण पीडब्लू–2 ,पीडब्लू–3 बिजेन्द्रपेश किये। गवाहान ने भी वादी का पुराना कब्जा बताया है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2005, में बकाशत गिरधारी, श्योपाल, हुकमचन्द, यादराम मातादीन, बनेसिंह पुत्रान जयराम को वाद में पार्टी बनाया हुआ है जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी जिससे बाखूबी साबित होता है कि प्रतिवावादी पक्ष को कोई अभाव अभियोग नही है, ऐसी स्थिति मे न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.10 को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत होता है। तथा प्रदर्श–2 इकारानामा दिनांक 25.5.1983 नोटेरीद्वारा रजिस्टर्ड के अवलोकन से साबित होता है कि विवादित आराजी वादी की खरीद शुद्वा एवं कब्जा काश्त आराजी है । वादी का कब्जा बाखूबी सिद्व होता है इस लिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.12 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ति जमा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एंव न्याय संगत समझते है। वाद वादी काबिले डिकी करार पाता है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है।

अतः आदेश है किः—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी किया जाता है कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.10 को बहाल रखा जाता है तथा बैशर्त वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कोष कराने पर आराजी ख0 नं0 244 रकबा 0.3200 हे0 वाके ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जर्ये चालान जमा कोष होकर वादी को सनद खातेदारी जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
111/16	27.7.16	4.1.22

उनवान

1.बंशी पुत्र जाहरा जाति गुजर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास(अलवर)

:–वादी:–

बनाम

1. चेतनदास पुत्र कीरतमल
2. रूपामल पुत्र कीरतमल
3. घनश्यामदास पुत्र कीरतमल
4. सावत्री पुत्री कीरतमल
5. मेहनी बाई पुत्री कीरतमल जाति सिंन्धी निवासी आनन्दनगर कॉलोनी, खैरथल तहसील किशनगढबास
6. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार किशनगढबास पैरोकार तहसील किशनगढबास अलवर।
7. श्योपाल पुत्र जयराम
8. गिरधारी पुत्र जयराम – मृतक

8/1–जसवन्त पुत्र गिरधारी

8/2–गजराज पुत्र गिरधारी कौम गुर्जर

9. हुकमचन्द पुत्र जयराम
10. यादराम पुत्र जयराम
11. मातादीन पुत्र जयराम
12. बनेसिंह पुत्र जयराम कौम गुजरान निवासीयान सेवखेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टी0एक्ट 1953

उपस्थिति:– 1. श्री परमानन्द शर्मा वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री 4.1.22

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.10 को बहाल रखा जाता है तथा बैशर्त वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कोष कराने पर आराजी ख0 नं0 244 रकबा 0.3200 हे0 वाके ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जर्ये चालान जमा कोष होकर वादी को सनद खातेदारी जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद बंशी बनाम चेतनदास मु. न. 111/16 निर्णय दिनांक 04.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	बंशी पुत्र जाहरा जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर (समभाग)
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0.32 है. वाके ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास किस्म बारानी1
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57372292 से राशि 5120 रू.(पांच हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57372525 से राशि 2560 रू.(दो हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः— यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के गैर खातेदारान के समस्त हिस्से पर अंकित समस्त अंकन पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/

दिनांक :— 06/01/22

प्रतिलिपिः— 1464-67

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी बंशी पुत्र जाहरा जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

तीन कोपी पुत्र को कर दिए